मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 5–4/2017/1/8 भोपाल, दिनांक 19/09/2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में समय–सीमा में कार्यवाही करने के संबंध में।

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, महाधिवक्ता कार्यालय/शासकीय अधिवक्ता से सतत् संपर्क स्थापित करने, प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण करने तथा न्यायालय के निर्णयों के सन्दर्भ में कार्यवाही करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। महाधिवक्ता मध्यप्रदेश एवं उनके कार्यालय द्वारा भी न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में सूचना दी जा कर यह अपेक्षा की जाती है कि नियत तिथि के पूर्व प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत हो जाए।

2. शासन के निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों/कार्यालयों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत न किए जाने अथवा न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। समय पर जवाबदावा प्रस्तुत न होने से अनेक बार वरिष्ठ अधिकारियों को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह स्थिति काफी चिन्ताजनक है।

3.1 अतः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जैसे ही उच्च न्यायालय से नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा महाधिवक्ता कार्यालय से फैक्स, पत्र अथवा सूचना प्राप्त हो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र की जाए।

निरन्तर.....2

3.2 संबंधित प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अविलम्ब प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं सुनवाई की आगामी तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा जानकारी प्राप्त कर नियत तिथि से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए।

3.3 यदि किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत करना संभव न हो तो प्रभारी अधिकारी उसका कारण बताते हुए समय वृद्धि हेतु स्वयं महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इस व्यवस्था का उपयोग बार–बार न किया जा कर केवल विशेष परिस्थितियों में एवं ठोस कारण होने पर ही किया जाना चाहिए।

4. महाधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अनेक प्रकरणों में उनके कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/अन्य शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी चाहे जाने पर जिले, संभाग तथा विभाग से समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होने से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय द्वारा लगाई जाती है। अतः इस पृष्ठभूमि में आवश्यक है कि महाधिवक्ता कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/अन्य शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी चाहे जाने पर आवश्यक जानकारी तत्काल उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

5. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा, संभागीय स्तर पर संभागायुक्त तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों द्वारा नियमित अंतराल पर लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाए।

18.09.17

( प्रभांशु कमल )
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–4/2017/1/8 भोपाल, दिनांक 19/09/2017

प्रतिलिपि:-

महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।

( उषा परमार )
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग